

भारतीय संविधान की एकात्मक एवं संघात्मक विशेषताएँ | Unity and Federal features of the Indian Constitution.

भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद लक्षण उसका संघात्मक स्वरूप है। ऐसा संविधान के प्रथम अनुच्छेद से ही विदित हो जाता है। जिसमें भारत को राज्यों का संघ (Union of States) कहा गया है। कुछ न्यायाविद व राजनीति सिद्धान्तशास्त्री व टिप्पणीकार इसे संघात्मक (Federal) कुछ इसे एकात्मक (Unitary) तथा कुछ विचार मध्यमार्ग का अनुसरण करते हुए, अर्ध-संघात्मक (Quasi-federal) कहते हैं।

अतः संघात्मक शासन मुख्य शासन पद्धति एक दूसरे को सहभाग होती है।

अतः संघात्मक राज्य विभिन्न राज्यों का आप-सामान्य हित के लिए एक राज्य में सम्मिलित होना है। जिसमें राज्य की विभिन्न इकाइयों अन्य मामलों में अपने क्षेत्र में स्वायत्तता हित के लिए एक राज्य में सम्मिलित होना है। जिसमें राज्य की केन्द्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है।

गार्नर (Garnett) ने संघात्मक शासन की शास्त्रीय परिभाषा देते हुए, कहा कि एकात्मक शासन के विपरीत, संघात्मक शासन एक ऐसी पद्धति है जहाँ राष्ट्रीय संविधान या संसद के सावधानी कानून द्वारा शासन की सम्पूर्ण शक्ति का वितरण किया जाता है।